खड़े ट्रक में घुसी कार, दो की मौत, 3 की हालत गंभीर

- इंदौर-भोपाल हाईवे पर महू का नीमा परिवार हादसे का शिकार
- विवाह समारोह में शामिल होने भोपाल जा रहा था परिवार

महू. इंदौर-भोपाल हाईवे पर गुरुवार सुबह सीहोर में दरबार ढाबे के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. इसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई तथा तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये सभी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने भोपाल जा रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि कार का आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया. हादसे का शिकार नीमा परिवार महू का निवासी है.

परिजनों ने बताया कि दो दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में सुनील नीमा के साढ़ू भाई के यहां विवाह समारोह का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए परिवार के सदस्य कारों के माध्यम से उदयपुर पहुंचे थे. यहां विवाह समारोह संपन्न होने के बाद बुधवार को परिवारजन उदयपुर से इंदौर पहुंचे थे. यहां रात को आराम करने के बाद सुबह-सुबह परिवार के सभी लोग लगभग 4-5 कारों में सवार होकर भोपाल के लिए रवाना हुए थे. इनमें से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई परिजनों के अनुसार सुबह 6.15 बजे सीहोर से एक्सीडेंट होने की खबर मिलते ही महू से परिवार के सदस्य सीहोर के लिए रवाना हुए. तब तक आगे-पीछे चल रही कारों में सवार परिजन घायलों को अस्पताल लेकर पहुंच चुके थे.

कार चालक को कोहरे में नजर नहीं आया ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे कार ढाबे के पास पहुंची, तभी सड़क किनारे खड़ा ट्रक अचानक सामने आ गया. इस पर कार ड्राइवर संतुलन खो बैठा और कार ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह मलबे में बदल गया. पुलिस का कहना है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होना और तेज रफ्तार इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है. इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि ट्रक सही तरीके से खड़ा था या नहीं.

हादसे में ये हैं मृतक और घायल-इस भीषण हादसे में कार चालक मृदंग पिता संजू नीमा (28 वर्ष) और उनके साथ बैठी संध्या पति सुनील नीमा (56 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि सुनील नीमा (60 वर्ष), संजय नीमा (45 वर्ष) और मीनल नीमा (40 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें 108 एंबुलेंस से सीहोर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद संजय और मीनल को भोपाल रेफर कर दिया गया, जबकि सुनील नेमा सीहोर में ही भर्ती हैं.

मृतक संध्या नीमा के पुत्र शुभम नीमा भी इस दौरान साथ में ही चल रहे थे, मगर वे दूसरी कार में सवार थे. परिजनों के अनुसार शुभम की पत्नी के मायके भोपाल में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सभी परिवार के सदस्य एक साथ उदयपुर से इंदौर होते हुए भोपाल जा रहे थे, मगर सुबह अचानक कोहरे के कारण कार हादसे का शिकार हो गई और खुशियां मातम में बदल गई. अब परिवारजनों को महू लाया जा रहा है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है.

बायपास पर बेटे के सामने कार की टक्कर से बाप की मौत

- बेटे के लिए सामान लेने सड़क पार कर रहा था पिता

इंदौर. लसूडिया क्षेत्र में देर रात एक सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय युवक की जान चली गई. हादसा उस समय हुआ, जब वह अपने 10 वर्षीय बेटे के लिए सामान लेने सड़क पार कर रहा था. बेटा बाइक पर बैठा सबकुछ देखता रह गया.

थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि बुधवार रात करीब 8 बजे ओमेक्स सिटी में रहने वाले 32 वर्षीय राजेश पिता रूपसिंह झोपटे अपने बेटे आकाश को घुमाने निकले थे. वे बायपास पर बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बेटे को उस पर बैठाकर सामने से सामान लेने रोड क्रास कर रहे थे. इसी दौरान शेरेटान होटल के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि राजेश लगभग 20 फीट दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया. हादसे के वक्त राजेश का बेटा सड़क के दूसरी ओर बाइक पर बैठा हुआ था और उसने अपने पिता को दुर्घटना में गिरते हुए देखा.

आंखों के सामने पिता की मौत होते देख बेटा सदमे में

हादसे के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई है और वह सदमे की वजह से किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहा. दुर्घटना के तुरंत बाद एक ऑटो ड्राइवर ने रुककर मदद की, कुछ ही देर में एफआरवी वैन भी पहुंच गई. राजेश को एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजेश मिस्त्री का काम करता था, सके तीन बच्चे हैं. मामले में पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों और लोगों से पूछताछ कर कार और चालक की तलाश कर रही है.

एक नजर में

शहर में घूमते पकड़ाया रासुका का आरोपी

इंदौर. द्वारकापुरी पुलिस ने क्षेत्र में रासुका के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि वह पुलिस आयुक्त के निष्कासन आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित अवधि में शहर की सीमा के भीतर घूमता मिला. द्वारकापुरी थाने में पदस्थ सूबेदार रामगोपाल वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र की दिग्विजय नगर मल्टी में रहने वाले 32 वर्षीय आकाश मालवीय को पकड़ा है. आरोपी पर 13 अक्टूबर को रासुका की कार्रवाई की गई थी, बावजूद इसके वह थाना क्षेत्र में ही घूमते हुए मिला. पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर निष्कासन आदेश के उल्लंघन की कार्रवाई की. थाना द्वारकापुरी में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

बोलेरो से चल रहा था अवैध शराब का धंधा

इंदौर. हातोद पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बोलेरो से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने वाहन सहित शराब जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हातोद थाने के सूबेदार संजय यादव ने बताया कि उनकी टीम ने नंदलाल रोड क्षेत्र में बोलेरो वाहन नम्बर एमपी 11 सीसी 1964 को रोककर तलाशी ली, तलाशी में वाहन से प्लेन देशी व मसाला शराब की 72 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत लगभग 25,200 रुपए के साथ एक पेटी बीयर 7.800 लीटर जिसकी लगभग कीमत 2,340 रुपए आंकी गई है. इस तरह कुल 79.800 लीटर अवैध शराब की कीमत 27,540 की जब्त की है. पुलिस ने बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया. जबकि आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है.

नो एंट्री में घुसने वाले 7 भारी वाहन चालकों से 35 हजार वसूले

इंदौर. पुलिस की नो एंट्री तोड़ने वाले भारी वाहनों पर लगातार कार्रवाई जारी है. 24 घंटे की कार्रवाई में पुलिस ने सात चालकों पर जुर्माना लगाकर 35 हजार रुपए समन शुल्क वसूला. यातायात पुलिस द्वारा नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 26 नवंबर की सुबह से 27 नवंबर की सुबह तक शहरभर में नो एंट्री प्रतिबंध के बावजूद प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की चेकिंग की गई. इस कार्रवाई के दौरान सात भारी वाहन चालकों को नो एंट्री का उल्लंघन करते पकड़ा. सभी पर चालानी कार्रवाई करते हुए 35 हजार रुपए का समन शुल्क वसूल कर सरकारी खाते में जमा कराए. पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारी वाहन निर्धारित समय और मार्ग का पालन करें, अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि शहर में सुरक्षित और सहज यातायात बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

युवक से अवैध चाकू बरामद

इंदौर. गांधीनगर पुलिस ने मंगलवार रात गश्त के दौरान हातोद रोड स्थित भैरू बाबा मंदिर के पास एक युवक को अवैध चाकू के साथ पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. गांधीनगर थाने में दर्ज प्रकरण में 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, प्रधान आरक्षक रामनरेश तिवारी ने बताया कि रात लगभग 9.30 बजे भैरू बाबा मंदिर, हातोद रोड क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर टीम ने दबिश दी. इस दौरान पटेल नगर, गोम्मटगिरी निवासी 28 वर्षीय सागर करोसिया को रोककर पूछताछ की गई. तलाशी में उसके कब्जे से अवैध चाकू मिला, जिसे मौके पर जप्त कर लिया. पुलिस ने चाकू जब्ती के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है.

मंदिर से भूसा ले जाने की बात पर युवक ने दर्शनार्थी को पीटा

इंदौर. छोटी खजरानी स्थित अखंड ज्योति हनुमान मंदिर के बाहर भूसा ले जाने को लेकर कहासुनी झगड़े में बदल गई और युवक ने दर्शन करके लौट रहे व्यक्ति से मारपीट कर दी. हमले में पीड़ित की नाक और पैर में चोट आई है. एमआईजी थाना क्षेत्र अंतर्गत 49 वर्षीय फरियादी संजय पिपल्दे निवासी 271 नया बसेरा, ने पुलिस को बताया कि वह मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे. उसी समय मंदिर के बाहर बैठे सहदेव मराठा ने उनसे विवाद शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि वे मंदिर का भूसा घर ले जाते हैं. फरियादी के अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके घर पर गायें हैं और मंदिर के महंत उन्हें भूसा ले जाने से नहीं रोकते. इसके बावजूद सहदेव ने गाली-गलौज शुरू कर दी. आरोप है कि सहदेव ने उनके चेहरे पर घूंसा मारा और जमीन पर गिराकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की. घटना में संजय की नाक, दाहिने पैर और कंधे पर चोट आई तथा नाक से खून बहने लगा. पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

किराए पर दी कार हड़पी, जीपीएस हटाकर गिरवी रखा

इंदौर. अंबिका नगर क्षेत्र में कार रेंटल के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. शिकायत में आरोप है कि किराए पर ली गई कार न तो लौटाई गई और न ही एक भी किस्त चुकाई गई. वाहन का जीपीएस हटाकर उसे अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखने की बात भी सामने आई है. विजयनगर थाने पहुंचे 62 वर्षीय फरियादी जेम्स कुट्टी निवासी यशोदा अपार्टमेंट, नंदगांव, ने बताया कि उन्होंने अपनी वेलोनो कार एमपी 09 डीएम 5128 गतिमान कार रेंट नाम से चलने वाले ट्रैवल्स एजेंसी को किराये पर दी थी. 28 मई 2025 को वाहन प्रतिमाह 23 हजार रुपए के किराए पर अंकित विश्वकर्मा को दिया गया था. लेकिन आरोपी ने अब तक एक भी माह का किराया नहीं चुकाया और न ही कार वापस की, फरियादी ने पुलिस को यह भी बताया कि वाहन में लगा जीपीएस भी निकाल दिया गया. कई बार फोन किए, परंतु आरोपी टालमटोल करता रहा और बाद में बताया कि उसने गाड़ी को किसी ओम मनावत नाम के व्यक्ति के पास तीन लाख रुपए में गिरवी रख दिया है. पुलिस ने आरोपी अंकित विश्वकर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वाहन की बरामदगी और आगे की जांच शुरू कर दी है.

1.60 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में दो और धराए

- अब तक डिजिटल अरेस्ट गैंग के 19 आरोपी गिरफ्त में
- आरोपियों के अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़े हैं तार

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर की 59 वर्षीय महिला से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है. गुजरात और पंजाब से दो और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इसी प्रकरण में देशभर से अब तक 17 अन्य आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं. अब मामला अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़ गया है.

डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर कमिश्नरेट में साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रही विशेष कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी के चर्चित डिजिटल अरेस्ट केस में दो और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम वापी (गुजरात) निवासी सौरभ सिंह और फिरोजपुर सिटी (पंजाब) निवासी पतरस कुमार उर्फ केलिस है. क्राईम ब्रांच ने दोनों को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ट्रेस किया था. यह वही मामला है, जिसमें 59 वर्षीय महिला को स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई, आरबीआई और पुलिस अधिकारी बताकर धमकाया गया था.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की बात कहकर की थी ठगी-आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की बात कहकर पीड़िता की बैंकिंग जानकारी हासिल की और खाते, एफडी और शेयर की राशि की जांच के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए निकलवा लिए थे. क्राइम ब्रांच ने इस शिकायत पर अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी पर बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है. वहीं, एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष टीम गठित की है और आगे की जांच में और नाम सामने आ सकते हैं.

पतरस कुमार उर्फ कैलाश निवासी पंजाब

पूछताछ में सामने आया अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

पुलिस के अनुसार, 12वीं तक पढ़ाई करने वाले तथा गिरफ्तार आरोपी पतरस कुमार को अमृतसर एयरपोर्ट से पकड़ा था. उसने पूछताछ में खुलासा किया कि वह विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर सिम कार्ड उपलब्ध कराता था और इन्हें अपने साथी सौरभ सिंह के जरिए लाओस भेजा जाता था. सौरभ सिंह होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है. उसे वापी से गिरफ्तार किया गया. सौरभ ने बताया कि वह कुछ समय लाओस में रह चुका है और वहां मौजूद विदेशी गिरोह के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम देते थे. आरोपियों के अनुसार 40 से 70 वर्ष के सिंगल पुरुषों और महिलाओं को सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर प्रोफाइल तैयार कर निशाना बनाया जाता था. पहले उन्हें नौकरी या निवेश का लालच दिया जाता, फिर साइबर अपराध में शामिल कर लिया जाता. इस गैंग ने ग्रामीण इलाकों के लोगों के नाम पर 350 से अधिक सिम कार्ड हासिल किए, जिन्हें धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां

इस प्रकरण में हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपी पतरस कुमार और सौरभ सिंह हैं. इससे पहले पश्चिम बंगाल, यूपी, गुजरात, सिवनी, भोपाल और मध्यप्रदेश से इस गैंग के 17 सदस्य पकड़े जा चुके हैं. इनके नाम हैं- प्रतीक जरीवाला, अभिषेक जरीवाला, चंद्रभान बंसल, राकेश बंसल, विवेक रंजन, अल्ताफ कुरैशी, अभिषेक चक्रवर्ती, रोहन शाक्य, आयुष राठौर, निलेश गोरेले, अभिषेक त्रिपाठी, मनोज कुमार, आगम साहनी, गौरव तिवारी, योगेश पटले, सुजल सुर्यवंशी और स्वपन मोदक.

आज और कल इंदौर में राष्ट्रीय महिला आयोग... आपके द्वार

- पुलिस विभाग की पेंडिंग शिकायतों पर होगी सुनवाई
- महिला जनसुनवाई का भी होगा आयोजन

इंदौर. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर 28-29 नवंबर को इंदौर में रहेंगी. वे राष्ट्रीय महिला आयोग... आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महिला जनसुनवाई के आयोजन के साथ ही 28 नवंबर को सुबह 11 बजे इंदौर संभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की रेसीडेंसी कोठी में बैठक लेंगी. इसके बाद दोपहर 12.30 बजे से 2 बजे तक रेसीडेंसी कोठी में ही महिला जनसुनवाई करेंगी. इंदौर संभाग के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं जिलों के पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे से रेसीडेंसी कोठी पर की जाएगी ।अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर महिला जनसुनवाई में इंदौर जिले के पुलिस विभाग की वर्ष 2023-2025 तक की 40 पेंडिंग शिकायतों के साथ ही अन्य प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई करेंगी. यदि कोई महिला राष्ट्रीय महिला आयोग को अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो वह उपरोक्त समय पर उपस्थित हो सकती है.

आयोग अध्यक्ष पॉश एक्ट को लेकर कार्यशाला में भी लेंगी भाग

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 9 बजे से वन स्टॉप सेंटर (सखी केन्द्र) का निरीक्षण भी करेंगी. वे यशोदा एप के कार्यक्रम में भी भाग लेंगी. वहीं, विजया किशोर रहाटकर 29 नवंबर को दोपहर 12 बजे पॉश एक्ट (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी अधिनियम) की कार्यशाला में भी शामिल होंगी. इसमें संभाग स्तर के स्थानीय परिवाद समिति एवं आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे.

पत्नी से झगड़े के बाद पुताई मिस्त्री ने फांसी लगाकर जान दी

इंदौर. खजराना क्षेत्र के गांधी ग्राम में घरेलू विवाद के कुछ ही घंटों बाद एक पुताई मिस्त्री ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने बताया कि थाना अंतर्गत 50 वर्षीय फिरोज पिता निजाम गांधी ग्राम में रहता था और पुताई का काम करता था. देर रात किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया, कहासुनी बढ़ी तो पड़ोसी बीच-बचाव के लिए पहुंचे और दोनों को शांत कराया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि विवाद शांत होने के बाद पत्नी बच्चों को लेकर कमरे के बाहर चली गई. कुछ देर बाद फिरोज ने अंदर से कमरा बंद कर फांसी लगा ली. जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे फंदे पर लटका पाया. फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है.

आटा चक्की में साड़ी फंसने से घायल वृद्धा की अस्पताल में मौत- इंदौर. महू नाका क्षेत्र में घरेलू आटा चक्की चलाते समय हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई 70 वर्षीय वृद्धा ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया. हादसे में साड़ी का पल्लू मशीन में फँस जाने से महिला का गला घुट गया था, मामले में पुलिस जांच कर रही है.

छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के महू नाका में रहने वाली 70 वर्षीय चंद्रकांता पति राधेश्याम अपने घर पर आटा चक्की चलाकर काम करती थीं. परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना 21 नवंबर को दोपहर के समय की है, जब वह चक्की चला रही थी, तभी उनकी साड़ी का पल्लू मशीन में फंस गया और साड़ी कसने से उनका गला दब गया. वे वहीं घायल होकर गिर पड़ीं. परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां बीते छह दिनों से उनका उपचार किया जा रहा था, देर रात उनकी हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. सूचना पर छत्रीपुरा पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

ठक-ठक गैंग का फरार सदस्य पकड़ाया

कार रोककर एक्सीडेंट के नाम पर उगाही करने वाले दो आरोपी अब सलाखों के पीछे

नव भारत न्यूज

इंदौर. भंवरकुआं पुलिस ने ठक-ठक गैंग के एक और सदस्य आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी अपने साथी फराज खान के साथ कारों के सामने अचानक आकर झूठा एक्सीडेंट बताता था और धमकाकर रुपए वसूलता था. पुलिस ने घटना में उपयोग वाहन और उगाही की रकम भी बरामद कर ली है.

शहर में वसूली, लूट और चोर गिरोहों पर अंकुश लगाने के निर्देशों के बाद भंवरकुआं थाना क्षेत्र में सक्रिय ठक-ठक गैंग पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस उपायुक्त जोन-4 आनंद कलादगी और एडीसीपी दिषेश अग्रवाल के निर्देशन में एसीपी जूनी इंदौर विजय चौधरी ने थाना प्रभारी भंवरकुआ को आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए थे. फरियादी ने पुलिस को बताया कि 15 नवंबर को वह अपनी कार से तीन इमली ब्रिज की ओर जा रहा था, तभी दो युवक अचानक कार के सामने आकर झूठा आरोप लगाने लगे कि उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ है. एक युवक कार के सामने लेट गया और दोनों ने कांच तोड़ने व जान से मारने की धमकी देकर उससे 500 रुपए ले लिए. कुछ देर बाद उन्होंने दूसरी कार को भी इसी तरह रोककर उगाही की.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातें भी कबूलीं

शिकायत पर भंवरकुआं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, टीम ने 16 नवंबर को पहले आरोपी फराज खान निवासी फिरदौस नगर को पकड़ा, जिसने अपने साथी आदिल शेख निवासी मथुरा कॉलोनी का नाम बताया. आदिल घटना के बाद से फरार था. पुलिस को उसके आजाद नगर क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने कई अन्य वारदातें करना कबूल किया है. पुलिस ने आरोपियों से उगाही की रकम और घटना में उपयोग वाहन जब्त कर लिया है. दोनों से अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है.

एक नजर में | कई बार यातायात प्रबंधन में नजर आता है विरोधाभास

शहर में कई जगह नोपार्किंग और वन-वे नियम का उड़ाया जा रहा मखौल

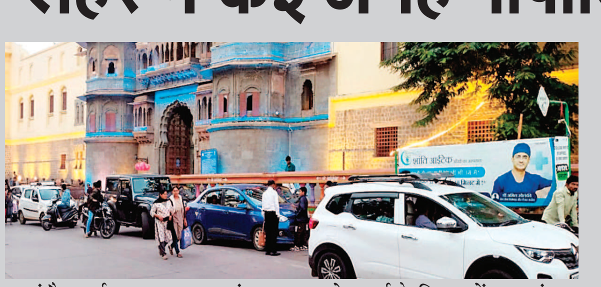

इंदौर. कई बार यातायात प्रबंधन में विरोधाभास देखने को मिलते हैं. यूं तो यातायात विभाग नोपार्किंग, वन-वे और भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्ती दिखाता है, वहीं दूसरी ओर देखने में यह आता है कि शहर के मध्य क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ऑटो एवं भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होने के बावजूद यातायात पुलिस के जवान अपने स्वार्थ के लिए इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है.

राजबाड़ा शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र है, जहां प्रत्येक दिन सुबह दुकानें खुलते ही लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं.राजबाड़ा के बाजारों में अब भीड़ इतनी बढने् लगी है कि लोगों के चलने के लिए भी जमीन कम पडने् लगी है. वहीं यातायात के बढ़ते दबाव के चलते यातायात विभाग द्वारा कृष्णपुरा छत्री से ही बड़े वाहनों और ऑटो रिक्शा का राजबाड़ा की तरफ प्रवेश बंद कर दिया है. लेकिन, देखने में यह आया है कि गलती से भी कोई ऑटो रिक्शा राजबाड़ा तक पहुंचता है तो वहां मौजूद यातायात पुलिसकर्मी उसे दबोच लेते हैं तथा नियम और यातायात बाधित होने का हवाला देते हुए चालक से वसूली की जाती है. लेकिन, जब इसी स्थान पर नजरें घुमाई जाती हैं तो राजबाड़ा के द्वार पर ही चार पहिया वाहनों (कारों) की लाईन लगी रहती है और अधिकारी और जवान दोनों ही इसे नजरअंदाज करते हैं. जबकि यह क्षेत्र नोपार्किंग

यह बोले नागरिक...

किसी वाहन का प्रवेश निषेध करना विकल्प नहीं है. हर दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. राजबाड़ा क्षेत्र में जो पार्किंग भवन है, वहां भी जगह कम पडने् लगी है, इस पर ध्यान देना चाहिए.

- मोहन पवार

नियम सबके लिए बराबर है, उठता है कि गरीब ऑटो चालक से इतनी महरबानी क्यो?

लेकिन राजबाड़ा के चारों तरफ नियमों की आड़ में बहुत कुछ होता है. नोपार्किंग भी उन लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखती, जो ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों को फायदा पहुंचाते हैं.

- लोकेश यादव

जिस स्मार्ट सिटी के नाम पर

जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें सिर्फ बाधक इमारतों का हिस्सा हटाया गया, लेकिन यातायात और वाहनों के दृश्य में कोई बदलाव नहीं आया. इससे लोगों को असुविधा होती है.

- मोहम्मद इमरान